रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263884 CG-DL-E-16062025-263884

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2622]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947

No. 2622] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2687(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 'हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरूग्राम' (पैन- AAAGH0586F) जो कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 2016) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित एक प्राधिकरण है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसुचित करती है, अर्थात:-

- (क) सरकार से अनुदान सहायता या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्ति राशि;
- (ख) रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार बिल्डरों/विकास कर्ताओं, ऐजेंटों या किसी अन्य हितधारकों से प्राप्त शुल्क/जूर्माना; और
- (ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) पर अर्जित ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरूग्राम' -
  - (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा:

- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।
- 3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020 से 2023-2024 से संगत वित्तीय वर्षों 2018-2019 से 2022-2023 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 57/2025/फा. सं. 300196/35/2022-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप-सचिव

#### स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2025

- **S.O. 2687(E).** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram' (PAN: AAAGH0586F), an Authority constituted under sub-section (1) of Section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) by the State Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-
  - (a) Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;
  - (b) Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016; and
  - (c) Interest earned on (a) and (b) above.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram -
  - (a) shall not engage in any commercial activity;
  - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
  - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2018-19 to 2022-23 relevant to assessment years 2019-20 to 2023-24.

[Notification No. 57/2025/F. No. 300196/35/2022-ITA-I] MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

#### **Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263887 CG-DL-E-16062025-263887

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2623]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947

No. 2623]

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2688(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 'कोषाध्यक्ष धर्मार्थ बंदोबस्ती, हरियाणा' (पैन- AAALT1027E), हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण को उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) केवल राष्ट्रीय श्रमिक राहत कोष के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।
- (ख) बैंक जमा पर ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'कोषाध्यक्ष धर्मार्थ बंदोबस्ती, हरियाणा' -
  - (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा;
  - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 से संगत निर्धारण वर्षों: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 58/2025/फा.सं. 196/25/2015-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप-सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2025.

- **S.O. 2688(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Treasurer Charitable Endowments, Haryana' (PAN: AAALT1027E), an authority constituted by the Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that body, namely: -
  - (a) Grants received from Central Government or State Government of Haryana for National Workers Relief Fund only.
  - (b) Interest on bank deposits.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Treasurer Charitable Endowments, Haryana'-
  - (a) shall not engage in any commercial activity;
  - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
  - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 relevant for the Financial Years 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.

[Notification No. 58 /2025/F. No. 196/25/2015-ITA-I] MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263883 CG-DL-E-16062025-263883

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2624]

No. 2624]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISHTHA 26, 1947

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2689(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड', धर्मशाला (पैन AAAJH0373H), जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित एक बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- (क) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान/अग्रिम/प्राप्तियां।
- (ख) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 के अनुसार लगाए गए/प्राप्त किए गए शुल्क/प्रभार (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं)।
- (ग) पुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्री की बिक्री से प्राप्तियां/आय।
- (घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड', धर्मशाला
  - (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
  - (ख) गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
  - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
- 3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के लिए क्रमशः प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2020-2021 से 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 59 /2025 /फा. सं. 300196/06/2019-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह. उप सचिव

### स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2025

- **S.O.** 2689(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Himachal Pradesh Board of School Education', Dharamshala (PAN: AAAJH0373H), a Board established under Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:
  - a) Grants/advances/receipts received from State Government of Himachal Pradesh.
  - b) Fees/charges (by whatever name called) levied/received as per Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968
  - c) Receipt/income from sale of books and other educational material
  - d) Interest on bank deposits.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Himachal Pradesh Board of School Education', Dharamshala -
  - (a) shall not engage in any commercial activity;
  - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year; and
  - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2020-2021 to 2023-2024 relevant for the financial years 2019-2020 to 2022-2023 respectively.

[Notification No. 59 /2025 /F. No. 300196/06/2019-ITA-I] MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

#### **Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263885 CG-DL-E-16062025-263885

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2625]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947 NEW DELHI, MONDAY JUNE 16, 2025/JYAISHTHA 26, 1947

No. 2625]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2690(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 'कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग', बेंगलुरु (पैन: AAAGK0112L) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जो 'विद्युत अधिनियम, 2003' (सं. 2003 का 36) के अंतर्गत गठित आयोग है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों से 'विद्युत अधिनियम, 2003' (सं. 2003 का 36) के अंतर्गत गठित आयोग बना रहे।

[अधिसूचना सं. 60 /2025/फा. सं. 300195/17/2025-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

- **S.O. 2690(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies the 'Karnataka Electricity Regulatory Commission', Bengaluru (PAN: AAAGK0112L) (hereinafter referred to as "the assessee"), a commission constituted under 'The Electricity Act, 2003' (No. 36 of 2003), for the purposes of the said clause.
- 2. This notification shall be effective from the assessment year 2025-26, subject to the condition that the assessee continues to be a commission constituted under 'The Electricity Act, 2003' (No.36 of 2003) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 60/2025/F.No.300195/17/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.